...कार डिमांड को पैदा करने ...में विफल रही : चिदंबरम

नयी दिल्ली/एजेंसी

...ा पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में ...रकार देश के विकास के लिए मांग पैदा करने ...रही है तथा ''अकुशल आर्थिक कुप्रबंधन'' के ...कल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तीन साल पहले के ...हुंच जाएगा। उन्होंने उच्च सदन में आम बजट ...में भाग लेते हुए दावा किया कि 2021-22 का ...कल रहा है क्योंकि गरीब को नकदी अंतरण के ... राशि भी नहीं दी गयी तथा राशन प्रदान करने ...ा को भी जारी नहीं रखा गया। पूर्व वित्त मंत्री ... विश्व के प्रत्येक अर्थशास्त्री ने कहा कि हमें मांग ...ी होगी तथा मांग पैदा करने का श्रेष्ठ तरीका है ... के हाथों में पैसा दिया जाए। यह सरकार इसे ...फल रही है। मैं अपना आरोप दोहरा रहा हूं। आप ...5 माह के दौरान मिले सबक अभी तक नहीं सीख ...मुझे भय है कि आपके द्वारा सबक नहीं सीखे जाने ... 12 महीने और व्यर्थ हो जाएंगे तथा गरीब ...झेलेगा और बुरी तरह झेलेगा।''

...होंने कहा कि 2004-05 में स्थिर मूल्यों पर ...करीब 32.42 लाख करोड़ रूपये थी जो संप्रग ...के सत्ता से हटने के समय तीन गुना से अधिक ...105 लाख करोड़ रूपये हो गयी। चिदंबरम ने ...उसके बाद से क्या हुआ? 2017-18 में यह 131 ...ोड़ रूपये थी। 2018-19 में यह 139 लाख करोड़ ... पहुंच गयी। 2019-20 में यह थोड़ा और बढ़कर ...ख करोड़ रूपये हो गयी। 2020-21 में, जो वर्ष ...ने वाला है, पहली छमाही के दौरान यह 60 लाख करोड़ रूपये के करीब रही तथा वर्षांत तक यह करीब 130 लाख करोड़ रूपये पहुंचेगी। इसका मतलब है कि हम वापस वहीं आ गये जहां हम 2017-18 में थे।'' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने तीन साल में ''अकुशल आर्थिक कुप्रबंधन'' किया है। चिदंबरम ने कहा, ''माननीय वित्त मंत्री को मेरे द्वारा अकुशल शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति हुई। मैं संसद में कठोर शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। मेरे पास जो उपलब्ध है, उसमें मैं सबसे मृदु शब्द का उपयोग कर रहा हूं। अकुशल आर्थिक कुप्रबंधन के तीन वर्षों के कारण का अर्थ है कि 2020-21 में हम ठीक वहीं पहुंच गये जहां हम 2017-18 में थे।''

कार्यालय नगर परिषद भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक/नपभी./राजस्व/2021/19079 दिनांक 11-02-2021

-आम सूचना -

श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नि श्री विनोद अग्रवाल को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चन्द्रशेखर आजादनगर आवासीय योजना में आवासगृह सं.3-आई-17, साईज 3.60 X 11.25 = 40.5 वर्गमीटर दिनांक 26.09.1996 जरिये निलामी 99 वर्षीय लीज होल्ड राइट्स पर दिया गया था। आवासगृह का प्रिपेच्युल एवं कन्वेन्स लीज डीड दिनांक 30.06.2010 को मूल क्रेता श्रीमती मीना अग्रवाल पनि श्री विनोद अग्रवाल के पक्ष में कराया जा चुका है। वर्तमान में उपरोक्त आवासगृह श्री विनोद अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल के नाम से नामान्तरित होकर दर्ज है। श्री विनोद अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द अग्रवाल ने उपरोक्त आवासगृह दिनांक 04.12.2017 को श्रीमती रेखा शर्मा पत्नि श्री शिवलाल शर्मा को पंजीकृत विक्रय कर दिया है

श्रीमती रेखा शर्मा पनि श्री शिवलाल शर्मा ने परिषद मे आवेदन पत्र के साथ प्रथम पंजीयन(लीज डीड) व नामान्तरण आदेश एवं विक्रय पत्र की फोटो प्रति सलग्न कर आवास का नामान्तरण हेतू निवेदन किया गया है है जिसका स्वायत्त शासन विभाग की अधिसुचना क्रमांक प.8(ग)(1) नियम/डी.एल.बी. / 20/39126 दिनांक 15/01/2020 के अनुसार भूखण्ड का नामान्तरण किया जाना है।

अतः समस्त खास आम को सूचित किया जाता है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा शर्मा पनि श्री शिवलाल शर्मा के पक्ष में नामान्तरण के संबंध में किसी को कोई आपति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस के भीतर इस कार्यालय में लिखित प्रमाणित दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करें। समय अवधि के बाद नामान्तरण की कार्यवाही जारी कर दी जावेगी।

आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक आरई/भील/2020-21/1462 दिनांक 08-02-2021

-जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या च-4 बापू नगर योजना शहर भीलवाडा जो मूल आवंटी श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री महादेव जी शर्मा को पंजीकरण योजना 1974 के अन्तर्गत आवंटित किया गया आवास का आवंटन पत्र क्रमाक 5431 दिनांक 22.01.1975 के द्वारा जारी कर दिनांक 09.04.1975 को आवास का भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया। आवास के मूल आवंटी द्वारा उक्त आवास श्री जगदीश छाबड़ा पुत्र स्व. श्री हरिलाल छाबड़ा को अपंजीकृत दस्तावेज विक्रय इकरारनामा, वसीयतनामा एवं मुख्तीयार नामा पर विक्रय किये जाने एवं श्री जगदीश छाबड़ा पुत्र स्व. श्री हरिलाल छाबड़ा के द्वारा आवेदन करने तथा मकान की पेटे समस्त बकाया राशि जमा होने के पश्चात् पत्र क्रमांक 4445 दिनांक 29.03.2011 के द्वारा नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया गया

इसके पश्चात उक्त आवास के आवंटी श्री जगदीश छाबड़ा पुत्र स्व. श्री हरिलाल छाबड़ा की मृत्यु दिनांक 04.01.2008 को हो जाने पर उनके वारिस / उत्तराधिकारी (भाई) श्री धीरज छाबड़ा के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पंजीकृत रिलीज डीड एवं दस्तावजों के आधार पर उक्त आवास का नामान्तरण/हस्तांतरणा अपने पक्ष में करवाने हेतु आवेदन किया है।

अब आवास के आवंटी श्री जगदीश छाबड़ा पुत्र स्व. श्री हरिलाल छाबड़ा की मृत्यु पश्चात् उत्तराधिकारी (भाई) श्री धीरज छाबड़ा पुत्र स्व. श्री हरिलाल छाबड़ा द्वारा आवास नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रू. 2360/-दिनांक 02.02.2021 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित रिलीज डीड एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं के नाम मृत्यु उपरांत नाम हस्तांतरण/नामान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसकी मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता-राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान),

फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062, वेबसाईट: www.shrikalyan.co.in, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार भारतीय लेखा मानको (आईएनडी-एएस) के अनुपालन में तैयार

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2020 गैर अंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31.12.2020 गैर अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2019 गैर अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	54.64	168.50	59.06
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	(1.38)	(3.05)	(0.46)
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(1.38)	(3.05)	(0.46)
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(1.38)	(1.27)	(0.51)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हुए]	(1.38)	(1.27)	(0.51)
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)		-	
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) रुपये में			
	मूल	(0.01)	(0.01)	(0.01)
	तरल	(0.01)	(0.01)	(0.01)

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.shrikalyan.co.in पर उपलब्ध है। (ब) 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हुए तिमाही एवं नौमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 11 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./- राजेन्द्र कुमार जैन
अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 11 फरवरी, 2021

...D
...B Act 1970)
...क 08-02-2021

...राम सिन्धी पुत्र श्री ...आवंटन पत्र क्रमांक ...भौतिक कब्जा सुपूर्द ... ...क 12.02.1993 ...के साथ पंजीकृत ... पक्ष में करवाने हेतु ... ...री (पुत्र) श्री उत्तम ... राशि रू. 2360/- ...तावेज प्रस्तुत कर ... है जिसकी मण्डल ... ...चना की विज्ञप्ति के ... साथ इस कार्यालय ...तस्थापन की अग्रिम ... ..., खण्ड भीलवाड़ा

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक आरई/भील/2020-21/1493 दिनांक 10-02-2021

-जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या 4-ग-25 बापूनगर योजना शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटी श्री कृष्णगोपाल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल की सामान्य पंजीकरण योजना-1988 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 5066 दिनांक 23.02.1988 के द्वारा जारी कर दिनांक 28.03.1988 को आवास का भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया। आवास के मूल आवंटी द्वारा उक्त आवास श्री दौलतराम पुत्र श्री रतन लाल भगतानी को अपंजीकृत दस्तावेज, विक्रय इकरारनामा, वसीयतनामा एवं मुख्तीयार नामा पर विक्रय किये जाने एवं श्री दौलतराम पुत्र श्री रतन लाल भगतानी के द्वारा आवेदन करने तथा मकान की पेटे समस्त बकाया राशि जमा होने के पश्चात पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 13.11.2018 के द्वारा नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री दौलतराम पुत्र श्री रतन लाल भगतानी के पक्ष में कार्यालय क्रमांक 2139 दिनांक 24.12.2018 के माध्यम से आवास के पंजीयन हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये। जिसे आवंटी ने दिनांक 26.12.2018 को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में पंजीयन करवा लिये थे। इस प्रकार हाल रिकार्ड उक्त आवास श्री दौलतराम पुत्र श्री रतन लाल भगतानी के नाम है।

इसके पश्चात् उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2018 को श्री दौलतराम पुत्र श्री रतन लाल भगतानी द्वारा श्रीमती शान्ता देवी खटवानी पत्नी श्री राजकुमार निहालानी को बेचान किया गया एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1749 दिनांक 13.03.2020 द्वारा श्रीमती शान्ता देवी खटवानी पत्नी श्री राजकुमार निहालानी के नाम से नामान्तरण आदेश जारी किये गये।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02 2021 को श्रीमती शान्ता देवी खटवानी पत्नी श्री राजकुमार निहालानी द्वारा श्रीमती कोमल मानवानी पत्नी श्री देवानंद मानवानी को बेचान किया गया।

अब अंतिम क्रेता श्रीमती कोमल मानवानी पत्नी श्री देवानंद मानवानी द्वारा आवास नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रू.11800/- दिनांक 04.02.2021 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वंय के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण/नामान्तरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं जिसकी मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता-राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा